राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः–एफ 7(53)/परि/नियम/मु./2022/एटीएस/10604 जयपुर, दिनांकः–13-7-23

कार्यालय आदेश 18/2023

विषयः– कार्यालय आदेश 14/2022 दिनांक 06.09.2022 में संशोधन वावत्।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नया अध्याय 11 (स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियत्रंण) जोड़कर नियम 173–190 तक अतः स्थापित किये गये प्रावधानों को राजस्थान राज्य में लागू करने के संदर्भ में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना/मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश के संबंध में कार्यालय आदेश 14/2022 दिनांक 06.09.2022 जारी किया गया था। उक्त दिशा–निर्देशों में बिन्दु संख्या 18 के पश्चात नया बिन्दु संख्या 19 जोडा जाता हैः–

19. यदि आवेदक इकाई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के अन्तर्गत पंजीकृत है तो उस पर राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 के प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगें।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांकः–एफ 7(53)/परि/नियम/मु./2022/एटीएस/10605–011 जयपुर, दिनांकः 13-7-23

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा
4. समस्त मुख्यालय अधिकारी ।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा